Saathi

Date 29/07/2020

CLASS: B.A. (H) PART-2ND
SUBJECT: POLITICAL SCIENCE
PAPER: III (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)
CH: 5 (DIRECTIVE PRINCIPLES OF STATE POLICY-DPSP)
LECTURE NO. 25 (TWENTY FIVE)

By, OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
~~DEPTT. OF POL. SC.~~
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अन्तर —

मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों का ही लक्ष्य है भारत की प्रगति एवं भारतीय नागरिकों को विकास के अधिकतम अवसर प्रदान करना है और इस दृष्टि से 'मूल अधिकार यदि साध्य हैं तो निर्देशक तत्व साधन' अर्थात दोनों में घनिष्ठ सम्बंध पाया जाता है, फिर भी इतनी घनिष्ठता होते हुए भी दोनों में निम्नलिखित अन्तर पाया जाता है —

मूल अधिकार	नीति निर्देशक तत्व
(1) ये अमरीकी संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया है।	(1) ये आयरलैण्ड के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया है।
(2) ये संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 के अन्तर्गत उल्लेखित हैं। (भाग-3 में)	(2) ये अनु० 36 से 51 के अन्तर्गत वर्णित हैं। (भाग-4 में)
(3) मूल अधिकार न्याय-योग्य है अर्थात इसका उल्लंघन होने पर न्यायालय जाया जा सकता है।	(3) नीति निर्देशक तत्व न्याय-योग्य नहीं है अर्थात न्यायालय द्वारा इसे क्रियान्वित नहीं कराया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

Saathi

Date ___/___/_____

(4) मूल अधिकार को कानूनी शक्ति प्राप्त है।	(4) निदेशक तत्व को कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है, जनमत का बल और नैतिक शक्ति प्राप्त है।
(5) यह निषेधात्मक है।	(5) निदेशक तत्व सकारात्मक निर्देश हैं।
(6) मूल अधिकार नागरिकों के लिए हैं।	(6) ये राज्य के लिए हैं।
(7) इनके द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है।	(7) इनके द्वारा आर्थिक लोकतंत्र तथा सामाजिक न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास किया गया है।
(8) कानूनी दृष्टि से इन्हें उच्च स्थिति प्राप्त है (मिनर्वा मिल्स तथा अन्य वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा है।	(8) इन्हें न्याय-योग्य की स्थिति नहीं होने की वजह से मूल अधिकारों की तरह उच्च स्थिति प्राप्त नहीं है।

सम्भावित प्रश्न:

मूल अधिकार और निदेशक तत्वों में अन्तर को स्पष्ट कीजिए।

Scanned with CamScanner